

उत्तराखण्ड शासन
सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग
संख्या:-164 / XLIII(I) / 14-20(01) / 2014
देहरादून:दिनांक 13 मार्च, 2014

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 12 एवं 13 प्राविधानान्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग" के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. मुख्य आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त | सदस्य |
| 3. आयुक्त | सदस्य |

2. आयोग का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित होगा।
3. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 में प्राविधानित है।


(रविनाथ रामन)
अपर सचिव